बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

हमारा बिहार

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

आदेश

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, 5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली के पत्र संख्या- एन0आई0/टी0आर0जी0/पी0सी0एम0//553/2017-18/2950 दिनांक 10.07.2017 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए ECCE Curriculum पर दिनांक 7 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2017 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निपसीड के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ में आयोजित किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है जिसमें 4 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिनांक 7 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2017 तक ECCE Curriculum पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया जाता है:-

क्र0 सं0	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का नाम	पदस्थापित परियोजना/जिला का नाम	मोबाईल नं0
1	श्रीमती डॉ रश्मि वर्मा	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गया सदर, गया	9431005166
2	श्रीमती नीरू बाला	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर	9431005138
3	श्रीमती श्री शबीना अहमद	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर	9431005285
4	श्रीमती मंजु कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरभंगा सदर, दरभंगा	9431005383

2. नामित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण एवं वार्षिक ECCE पाठ्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित जानकारी अपने साथ लेते जाएगें।

- ECCE के कार्यान्वयन के लिए तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त।
- ECCE पाठ्यचर्या की मुद्रित प्रति- ऑ0 केन्द्रों में ECCE पाठ्यचर्या की उपलब्धता की स्थिति, पुनः पूर्ति नीति, अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त।
- अभ्यास पुस्तिका की मुद्रित प्रति- ऑगनबाड़ी केन्द्रों में अभ्यास पुस्तिका/क्रिया-कलाप पुस्तिका की उपलब्धता की स्थिति पुनः पूर्ति नीति, अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त।
- बाल निर्धारण कार्ड की मुद्रित प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बाल निर्धारण कार्ड की उपलब्धता की स्थितिए पुनः पूर्ति नीति, बाल निर्धारण कार्ड इस्तेमाल और ऑगनबाड़ी केन्द्रों में इसकी उपलब्धता पर तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त।
- ECCE किट में सामग्रियों की सूची- ऑगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्धता की स्थिति, पुनः पूर्ति नीति, अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त।
- राज्य/जिला/खंड स्तर पर स्टाफ/ ECCE समन्वयकर्त्ताओं की उपलब्धता की स्थिति।
- लर्निग कार्नर, पोर्टफोलियो रखरखाव, ECCE कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में वीएचएसएनसी/एएलएमएससी की भागीदारी, खिलौना बैंक, ECCE पर मॉनीटरिंग सूचक आदि।

3. नामित प्रतिभागियों को निदेश दिय जाता है कि अपना फोटो पहचान पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड/आई.कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/राष्ट्रीकृत बैंक का पासबुक/क्रेडिट कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स आदि) साथ आवश्य ले जायें।

4. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता संस्थान के नियमानुसार देय होगा। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद तक प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

5. नामित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 6 अगस्त, 2017 के संध्या तक प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त संस्थान में अवश्य योगदान करेंगें।

6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रशिक्षण संस्थान का पत्ता निम्नवत हैः-

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, गुड़म्बा कुर्सी रोड, निकट स्पोर्टस कॉलेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष–0522–2362643, 2730435 एवं 2730436

निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांकः– ICDS/45010/09-2017/2521 दिनांकः–25/07/2017

प्रतिलिपिः- प्रतिनियुक्त सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपिः- डॉ के0सी0 जॉर्ज, संयुक्त निदेशक (प्रशि0), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, गुड़म्बा कुर्सी रोड, निकट स्पोर्टस कॉलेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक